रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256396 CG-DL-E-16082024-256396

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3153]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 3153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14 2024/SHRAVANA 23, 1946

वस्त्र मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2024

का.आ. 3469(अ).— केन्द्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात्, जिसकी यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, कपास गांठें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कपास गांठें (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगा। कपास गांठें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 के उप- पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-"(2) यह तारीख 27 अगस्त, 2025 को प्रवृत्त होगा।"।

[सं. 1/5/2018-फाइबर I]

प्राजक्ता वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 948 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्यांक का. आ. 3557 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2023 तथा संख्यांक का. आ. 3830 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2023 द्वारा संशोधित किया गया।

5201 GI/2024 (1)

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 13th August, 2024

- **S.O.** 3469(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order to amend the Cotton Bales (Quality Control) Order, 2023, namely:-
 - 1. (1) This Order may be called the Cotton Bales (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Cotton Bales (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) It shall come into force on the 27th day of August, 2025.".

[No. 1/5/2018-Fibre I]

PRAJAKTA VERMA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 948 (E), dated the 28th February, 2023 and subsequently amended vide notification number S.O. 3557 (E), dated 7th August, 2023 and notification number S.O. 3830(E) dated 28th August, 2023.